

**अनुदान संख्या 57 - प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग**  
**GRANT No. 57-DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	12536,53,00	12536,57,00	12030,64,66
पूरक	Supplementary	4,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			495,13,36
<i>टीका और टिप्पणियां</i>				<i>Notes and comments</i>

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services	2959.00	2857.19	-101.81
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	942686.00	987304.05	986327.88
पू.	S.	3.00		
पु.	R.	44615.05		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	North Eastern Areas			
मू.	O.	105350.00	..	..
पु.	R.	-105350.00		..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मु.	O.	199658.00	211280.71	211279.71
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	11621.71		

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	3000.00			
			2599.88	2599.88	..
पु.	R.	-400.12			

(1) 106012.00 लाख रु. का प्रावधान छः शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 105980.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.106012.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.105980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद" - 450.00 लाख रु. संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि के कारण परिषद के अपने राजस्व में वृद्धि होने के कारण निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2202"- "Elementary Education- Teachers Training - National Council for Teacher Education" - Rs.450.00 lakhs - due to non-release of funds owing to increase of Council's own revenue on account of increased application fees for recognition of institutions.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 105350.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552"- "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim"- Rs.105350.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount owing to non-receipt of sufficient proposals.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा" - 180.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(C) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Adult Education-Other Adult Education Programmes- Continuing Education for Neo Literates" - Rs.180.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग" के अंतर्गत 101.81 लाख रु. की बचत (2959.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "2251"- "Secretariat - Department of Elementary Education and Literacy"-saving of Rs.101.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2959.00 lakhs) was

रिक्त पदों के न भरे जाने, अधिकारियों द्वारा कम विदेशी दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय" -

(क) "महिला समाख्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान" - 1075.00 लाख रु. की बचत (2975.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार और झारखंड राज्यों को महिला, समाख्या के अंतर्गत न लिए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने और साथ ही मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में महिला समाख्या स्कीम का विस्तार न किए जाने के कारण भी हुई।

(ख) "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" - 3308.98 लाख रु. की बचत (59791.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ग) "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय" - 137.11 लाख रु. की बचत (22500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मणिपुर की राज्य सरकार और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र से राज्य सरकार के 25 प्रतिशत भाग की अदायगी प्राप्त न होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रौढ़ शिक्षा" -

(क) "निदेशन तथा प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय" - 137.77 लाख रु. की बचत (1417.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और साथ ही विज्ञापन एवं प्रचार के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

due to non-filling up of vacant posts, less foreign tours by officers and economy measures.

(III) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education - Other Expenditure"-

(a) "Grants to Voluntary Organisations engaged in the implementation of the Programme of Mahila Samakhya (EAP)"- saving of Rs.1075.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2975.00 lakhs) was due to release of less funds owing to non-covering of States of Bihar and Jharkhand under Mahila Samakhya and also on account of non-expansion of Mahila Samakhya Scheme in Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

(b) "District Primay Education Programme (EAP)"- saving of Rs.3308.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.59791.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the State Government of West Bengal under District Primary Education Programme.

(c) "Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya" - saving of Rs.137.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22500.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-receipt of payment of State Government share of 25 percent from the State Government of Manipur and Union Territory of Dadar and Nagar Haveli.

(B) "Adult Education"-

(a) "Direction and Administration-Directorate of Adult Education"- saving of Rs.137.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1417.00 lakhs ) was due to non-filling up of vacant posts and also less requirement of funds under advertisement and publicity.

(ख) “स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान - प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहायता” - 768.44 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान गैर सरकारी संगठनों से ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम - नव साक्षर कार्यकलापों के लिए सतत शिक्षा” - 1509.33 लाख रु. की बचत (16392.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारियों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण” के अंतर्गत 300.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 62.26 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत थी।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (55489.93 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त 2005, दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 4.00 लाख रु. का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” -

(क) “प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय” -

(i) “प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम” - 9334.23 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9100.24 लाख रु. था।

(ii) “सर्व शिक्षा अभियान” - 41245.86 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 40639.36 लाख रु. था।

(b) “Grants to Voluntary Organisations – Support to Non-Governmental Organisations in the field of Adult Education”- saving of Rs.768.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to non-receipt of concrete proposals from Non-Government Organisations during the year.

(c) “Rural Functional Literacy Programme - Continuing Education for Neo literate activities” - saving of Rs.1509.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16392.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from State Literacy Mission Authorities.

(IV) Under Major Head “3602” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Elementary Education (Teacher Training) - Strengthening of Teachers Training Institutions” - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

(V) Under one head saving of Rs.62.26 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.55489.93 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.4.00 lakhs in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 under the following major heads:-

(A) Major Head “2202” -

(a) “Elementary Education - Other Expenditure” -

(i) “National Programme of Nutritional Support to Primary Education” - Rs.9334.23 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9100.24 lakhs.

(ii) “Sarva Shiksha Abhiyan”-Rs.41245.86 lakhs. Actual excess, however, was Rs.40639.36 lakhs.

(ख) "प्रौढ़ शिक्षा" -

(i) "जन शिक्षण संस्थान - जन शिक्षण संस्थान को अनुदान" - 649.43 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 648.92 लाख रु. था।

(ii) "अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - साक्षरता अभियान और प्रचालन पुनःस्थापन" - 779.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 740.01 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण" - 3480.66 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3479.66 लाख रु. था।

(III) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 8322.05 लाख रु. का अधिक व्यय (182507.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और साथ ही महाराष्ट्र की राज्य सरकार को भोजन बनाने की लागत के प्रति सहायता प्रदान किए जाने के कारण भी हुआ।

(b) "Adult Education"-

(i) "Jan Shikshan Sansthan - Grants to Jan Shikshan Sansthan" - Rs.649.43 lakhs. Actual excess, however, was Rs.648.92 lakhs.

(ii) "Other Adult Education Programmes - Literacy Campaigns and Operation Restoration" - Rs.779.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.740.01 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Elementary Education Teachers Training - Strengthening of Teachers Training Institutions" - Rs.3480.66 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3479.66 lakhs.

(III) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Elementary Education – Other Grants - National Programme for Nutritional Support to Primary Education" - excess of Rs.8322.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.182507.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also to provide assistance towards cooking cost to State Government of Maharashtra.